

## फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री हुकमसिंह

विपक्षी : श्रीमती केसरबाई

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 09/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सुनारं जारी की गई
	<p>दिनांक : 09.07.2021</p> <p>पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। आपसी राजीनामा होकर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादी का वाद ड्रॉप किया जा चुका है। अतः मूल वाद ड्रॉप हो जाने से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

